[2019] 4 एस. सी. आर 96

गुजरात राज्य और अन्य ईटीसी।

वी.

जयशभाई कांजीभाई कलथिया ई. टी. सी.

(सिविल अपील सं। 10373-10374 2010)

मार्च 1,2019

[ए. के. सिकरी, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

खान और खनिजः

लघु खनिज-राज्य सरकार द्वारा राज्य में खुदाई की गई साधारण रेत के निर्यात को अन्य राज्यों और अन्य देशों में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव-इसके बाद राज्य को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 15 आर/डब्ल्यू एस। 23 - एम. एम. डी. आर. अधिनियम के सी. ने आर. जोड़कर गुजरात लघु खनिज नियमों में संशोधन किया। 44 - बी. बी. और इस तरह राज्य से बाहर रेत की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया-प्रस्ताव को चुनौती देने के साथ-साथ आर. 44 - बी. बी.-उच्च न्यायालय ने याचिका को मंजूरी दी-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः धारा 15 (1) राज्य सरकार को खदान पट्टों, खनन पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार नहीं देती है।

या लघु खनिजों के संबंध में अन्य रियायतें-ऐसी कोई शक्ति सम से नहीं बहती है। 23 - ग कानूनी रूप से खुदाई किए गए खनिजों के परिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाना-विवादित नियम संविधान के भाग XIII का भी उल्लंघन करते हैं क्योंकि इसका प्रभाव व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता को बाधित करना है। 301 - इसे ध्यान में रखते हुए

अध्याय XIII की योजना, राज्य सरकार एक कानून के तहत इस तरह के निषेध को लागू नहीं कर सकती थी जिसका उद्देश्य खानों और खनिजों के विकास को विनियमित करना है न कि व्यापार और वाणिज्य प्रति खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957-ss। 15 और 23-सी-गुजरात लघु खनिज नियम, 1966 - आर. 44-बीबी-भारत का संविधान-भाग XIII-कला। 301 , 302 और 303।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) की धारा 15 के तहत राज्य सरकार की शक्ति

अधिनियम, 1957 (एम. एम. डी. आर. अधिनियम) में खनन के बाद लघु खनिजों पर नियंत्रण शामिल नहीं है। इसलिए यह सही नहीं है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1)

राज्य सरकार अनुदान के 'विनियमन' के लिए नियम बनाएगी खदान पट्टा, खनन पट्टा या अन्य रियायतें

96 गुजरात राज्य बनाम। जयशभाई कांजीभाई कलथिया

लघु खनिज और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए। अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से 1999 के संशोधन अधिनियम द्वारा एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23-सी को जोड़ा गया था। यह वस्तु और कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। धारा 23-सी में 'परिवहन' और 'भंडारण' शब्दों का उपयोग किया गया है

'अवैध खनन' का संदर्भ। यह स्पष्ट है कि यह अवैध खनन का परिवहन और भंडारण है न कि रेत जैसे छोटे खनिजों का खनन जो कानूनी है और विधिवत लाइसेंस द्वारा समर्थित है, जिसे इस प्रावधान के तहत विनियमित किया जा सकता है। इसलिए, कानूनी रूप से खुदाई किए गए खनिजों के परिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए इस प्रावधान से कोई शक्ति प्रवाहित नहीं होती है। [पारस 35,36,41 और 42] [120-ए डी; 123-जी; 124-सी, डी]

तमिलनाडु राज्य बनाम। एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी (1995) 2 एससीसी 402 [1995] 1 एससीआर 441; के. टी. वर्गीज और अन्य। वी. केरल राज्य और अन्य। (2008) 3 एससीसी 735: [2008] 1

एस. सी. आर. 1205-निर्भर।

डी. के. त्रिवेदी एंड संस और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1986) पूरक एस. सी. सी. 20: [1986] एससीआर 479; अमृतलाल नाथुभाई शाह और अन्य बनाम। संघ सरकार

भारत और दूसरा (1976) 4 एस. सी. सी. 108: [1977] 1 एससीआर

372 प्रतिष्ठित।

2.1 विवादित नियम इसके भाग XIII का भी उल्लंघन करते हैं।

संविधान अपने प्रभाव के रूप में संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता को बाधित करता है। इस अनुच्छेद के तहत, 'स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति को 'भारत के पूरे क्षेत्र में' अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 302 के तहत, संसद एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य या संभोग की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, जो जनहित में आवश्यक हो। 'जनहित' अभिव्यक्ति में एक क्षेत्रीय हित भी शामिल हो सकता है। हालांकि, अनुच्छेद 303 अनुच्छेद 303 द्वारा योग्य है जो संसद और राज्य विधानमंडलों को ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता देता है या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच भेदभाव करता है। कमी की स्थितियों से संसद को अनुच्छेद 302 (2) के तहत निपटना है। व्यापार, वाणिज्य या व्यापार की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति।

सार्वजनिक हित में, इस तरह के विधेयक या संशोधन को राज्य विधानमंडल [2019] 4 एस. सी. आर. में पेश करने की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही। द.

राष्ट्रपति, राज्य के प्रमुख और संघ के संरक्षक होने के नाते, संतुष्ट होना चाहिए कि इस तरह के कानून की वास्तव में आवश्यकता है और इस प्रकार, राष्ट्रीय हित पर प्रांतीय हितों को बढ़ावा देने पर एक रोक के रूप में कार्य करता है। इस की उपरोक्त योजना के अनुसार अध्याय, यह स्पष्ट हो जाता है कि जब किसी राज्य विधानमंडल पर ऐसे प्रतिबंध होते हैं, तो राज्य सरकार किसी कानून के तहत ऐसा निषेध नहीं लगा सकती थी, जिसका उद्देश्य खानों और खनिज विकास को विनियमित करना है, न कि व्यापार और वाणिज्य को। [पैरा 43] [124-ई-एच; 125-ए]

2.2 देश का संतुलित विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है

आर्थिक एकीकरण का पहलू। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाग XIII कुछ प्रकार के भेदभाव की अनुमति देता है, उदाहरण के लिए, पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए।

क्षेत्र या देश के उन हिस्सों के लिए एक समान खेल का मैदान बनाना जो विकास के वांछित स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। इस संदर्भ में, भाग XIII में एक दो गुना वस्तु की परिकल्पना की गई है: (i. व्यापार, वाणिज्य और व्यापार में सुगमता के माध्यम से एक साझा बाजार की सुविधा प्रदान करना।

बाधाओं को मिटाकर संभोग; और (ii) विनियम (या प्रतिबंध) जो राज्यों या क्षेत्रों के बीच अंतर का प्रभाव डाल सकते हैं जो न केवल उभरते समय में आवश्यक हो सकते हैं। अभाव आदि की परिस्थितियाँ या आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए या अन्यथा जनहित में न्यायोचित। वह भाग XIII केवल "स्वतंत्रता" के बारे में नहीं है, बल्कि आर्थिक एकता और समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से नियंत्रण और संतुलन की एक संहिता है। [पैरा 45] [126-ए-सी]

वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. पंजाब राज्य और

एन. आर. (1990) 3 एससीसी 87: [1989] 2 पूरक। एससीआर 731

-

पर भरोसा किया।

2.3 किसी भी 'वरीयता' या 'भेदभाव' को उचित ठहराने के लिए

अनुच्छेद 303 के तहत वस्तुओं की कमी को दूर करना होगा। यह रिकॉर्ड की बात है कि अध्ययन समूह की रिपोर्ट, जिस पर अपीलार्थी द्वारा निर्भरता रखी गई है, भारत के बाहर रेत के निर्यात को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता पर केंद्रित है, न कि भारत के भीतर। किसी भी मामले में, कुछ भी अपीलार्थी को खुदाई की जा रही रेत की मात्रा को सीमित करने से नहीं रोकता है। हालांकि, एक बार जब अपीलकर्ता राज्य रेत की खुदाई की अनुमति देता है, तो न तो वह भारत के क्षेत्र के भीतर अपनी आवाजाही को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है और न ही ऐसा ही है।

संवैधानिक रूप से अनुमत। इसी तरह, गुजरात राज्य बनाम पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

जयशभाई कांजीभाई कलथ राज्य द्वारा अन्य राज्यों से रेत आयात करने पर। यदि यह है कि किसी भी राज्य की मांग पूरी नहीं की जा रही है, तो यह शुद्ध हो सकता है

अन्य राज्यों से रेत। किसी भी स्थिति में, बाजार में रेत का व्यापार खत्म हो जाएगा क्योंकि यह खनन कंपनी को अपनी रेत को दूर तक ले जाने और बेचने के लिए कोई व्यावसायिक समझ नहीं होगी।

परिवहन पर बड़ी लागत आने के बाद गंतव्यः [पैरा 46] [127-बी-डी]

सी. नारायण रेड्डी और आदि। पंचायत राज और ग्रामीण रोजगार आयुक्त ए. पी. हैदराबाद और अन्य ए. आई. आर. 2004 ए. पी. 234; तमिलनाडु राज्य बनाम। हिंद स्टोन और अन्य (1981) 2 एस. सी. सी. 205: [1981] 2 एससीआर 742; टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 1 एस. सी. सी. 1: [2005] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 552; उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और

अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 235: [2009] 3 एस. सी. आर. 1060; के. रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य और दूसरा (1985) 2 एस. सी. सी. 116 [1985] 2 एस. सी. आर. 1028; यू. पी. सहकारी

केन यूनियन फेडरेशन बनाम। पश्चिम यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन और अन्य (2004) 5 एस. सी. सी. 430: [2004] 2 पूरक। एस. सी. आर. 238; मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य (2012) 11 एससीसी 1: [2012] 7 एस. सी. आर. 644; त्रिपुरा राज्य और अन्य बनाम। सुधीर रंजन नाथ (1997) 3 एससीसी 665: [1997] 2 एससीआर 29-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 2004 ए. पी. 234

पै

रा 4

[1981] 2 एससीआर 742

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[2005] 3 पूरक। एससीआर 552

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[1986] एससीआर 479

पै

रा 17

प्रतिष्ठित

[2009] 3 एससीआर 1060

पै

रा 19

संदर्भित किया गया है

[1985] 2 एससीआर 1028

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2004] 2 पूरक। एससीआर 238

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[1995] 1 एससीआर 441

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[1977] 1 एससीआर 372

प्रतिष्ठित

पैरा

22 [2019] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 7 एससीआर 644

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

[1997] 2 एससीआर 29

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[2008] 1 एससीआर 1205

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[1989] 2 पूरक। एससीआर 731

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

10373-10374 2010 से।

उच्च न्यायालय के 19.10.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

विशेष सिविल आवेदन सं. में अहमदाबाद में गुजरात सरकार द्वारा। 6204 2010 का विशेष सिविल आवेदन संख्या के साथ। 7321 2010 से।

श्रीमती माधवी दीवान, ए. एस. जी., अशोक कुमार पांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

प्रितेश कपूर, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री विशाखा, अमित शर्मा, ए. के. कौल, सुश्री रेखा पांडे, एस. वसीम ए. कादरी, राज बहादुर, अरुण कुमार यादव, श्रीमती सुमिता रे, डी. एन. रे, लोकेश के. चौधरी, दिलीप कुमार नायक, सुश्री दिशा रे, श्रीमती सुमिता रे, प्रवीण कुमार राय और हेमल किरीट कुमार सेठ, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की गईं

रेत की खुदाई, वहाँ के एक हिस्से को फ्लाई ऐश जोड़कर आगे के प्रसंस्करण के अधीन किया गया था और दूसरे हिस्से को गुजरात राज्य के बाहर रेत के रूप में बेचा गया था। दूसरी याचिका दस याचिकाकर्ताओं (दूसरी अपील में प्रतिवादी) द्वारा दायर की गई थी। वे सामान्य प्रसंस्करण के व्यवसाय में हैं। पट्टाधारकों से इसे खरीदने के बाद नदी की रेत। इस प्रक्रिया में फ्लाई ऐश को धोना, साफ करना और उसे आईएस-जोन-2-रेत में बदलना शामिल है, जिसे फिर 50 किलोग्राम में बेचा जाता है। एक ब्रांड नाम के तहत बैग। ये उत्तरदाता महाराष्ट्र राज्य में बिल्डरों को उस रेत की आपूर्ति करते हैं।

2. जैसा कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है, रेत, प्रसंस्करण के बाद,

गुजरात राज्य के बाहर बेचा जाता है। रिट याचिकाओं में दी गई चुनौती प्रस्ताव सं। जी. एम. आर.-102010-1-एस.-सी. एच. एच. दिनांक 04 मई, गुजरात राज्य बनाम.

जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

2010 जिसके तहत सभी पट्टाधारकों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों और निर्यातकों को गुजरात राज्य के क्षेत्रों से खुदाई की गई साधारण रेत को राज्य या देश के बाहर ऐसी रेत का परिवहन करके देश के भीतर या अन्य देशों में निर्यात करने से प्रतिबंधित किया गया था। जब ये रिट याचिकाएं विचाराधीन थीं, तब गुजरात सरकार ने 11 जून, 2010 को एक अधिसूचना जारी की, जिससे तत्काल प्रभाव से नियम 44-बीबी को शामिल करते हुए गुजरात लघु खनिज (संशोधन) नियम, 2010 बनाकर गुजरात लघु खनिज नियम, 1966 में संशोधन किया गया। यह संशोधन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (इसके बाद 'एमएमडीआर अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 23-सी के साथ पठित धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों के कथित प्रयोग में किया गया था। नियम 44-बी. बी. के माध्यम से, गुजरात राज्य की सीमा से परे रेत की आवाजाही प्रतिबंधित थी। नियम 44 बी. बी. निम्नानुसार हैः

" सीमा के पार रेत की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य। यदि कोई वाहन रेत ले जाते हुए पाया जाता है

पड़ोसी राज्य, यहां तक कि अधिकृत रॉयल्टी पास या डिलीवरी के साथ भी

चालान, इसे अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा

उसके अधीन किए गए और उसमें विनिर्दिष्ट दंडात्मक प्रावधान यह लागू होगा "।

3. इसके बाद दो महीने के भीतर, यानी 26 अगस्त, 2010 को, राज्य ने

गुजरात सरकार ने गुजरात लघु खनिज रियायत नियम, 2010 को भी अधिसूचित किया ताकि गुजरात लघु खनिज नियम, 1966 को निरस्त किया जा सके। नए नियमों का नियम 71 नियम 44-बी. बी. के समान ही प्रभावी था और यह निम्नानुसार हैः

" नियम 71। सीमा के पार रेत के परिवहन पर प्रतिबंध।

-

सीमा के पार रेत की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज्य। यदि कोई वाहन रेत ले जाते हुए पाया जाता है

चक्रवृद्धि को छोड़कर, उसके अधीन किए गए और दंडात्मक प्रावधान, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है, लागू होगा।

4. इसके कारण उत्तरदाताओं ने रिट याचिकाओं में संशोधन किया

संशोधन नियमों के नियम 44-बीबी के साथ-साथ रियायत नियमों के नियम 71 को चुनौती देना। उच्च न्यायालय ने, वीडियो में आक्षेप किया है

निर्णय ने रिट याचिकाओं को अनुमति दी और उपरोक्त नियमों को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि राज्य की नियम बनाने की शक्ति [2019] 4 एस. सी. आर.

सरकार राज्य सरकार को खनिज की आवाजाही को सीधे प्रतिबंधित करने वाले नियम बनाने के लिए सशक्त नहीं करती है ताकि संविधान के अनुच्छेद 301 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण किया जा सके। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि सी. नारायण रेड्डी और आदि में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ।

हैदराबाद और अन्य 1 ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था। इसी तरह, मद्रास उच्च न्यायालय ने भी डी. शिवकुमार बनाम मामले में 27 अप्रैल, 2009 के अपने फैसले के माध्यम से इस मुद्दे का फैसला किया था। तमिलनाडु सरकार 2 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समान दृष्टिकोण अपनाते हुए। हालाँकि, विवादित फैसले में गुजरात उच्च न्यायालय ने इससे असहमति जताई है।

आंध्र प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों की परस्पर विरोधी राय को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में अनुमति दी गई थी। इस तरह इस न्यायालय द्वारा तत्काल अपीलों की सुनवाई की गई।

5. आगे बढ़ने से पहले, हम व्यापक रूप से, एम. एम. डी. आर. अधिनियम की योजना का पुनर्कथन करना चाहेंगे, जहां तक यह लघु खनिजों को विनियमित करने से संबंधित है और उनके द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का संबंध है।

लघु खनिजों के संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए। इसी रूप में हम एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर भी ध्यान देने का प्रस्ताव करते हैं।

खनिजों के विकास का संबंध है। इस नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए, केंद्र सरकार की अनुमति के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी क्षेत्र में किसी भी टोही या खनन संचालन की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि परिवहन या भंडारण भी इसके अनुसार के अलावा निषिद्ध है। एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम (धारा 4)।

7. एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 13 केंद्र को अधिकार देती है।

सरकार खनिजों के संबंध में नियम बनाएगी।

1 ए. आई. आर. 2004 ए. पी. 234 2 रिट याचिका संख्या। 23317 और 2008 का 24211 गुजरात राज्य बनाम।

जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

8. उपरोक्त से यह पता चलता है कि जहां तक छोटे खनिजों की बात है

संबंधित, राज्य सरकार को सीमित शक्तियां दी गई हैं क्योंकि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 के तहत राज्य सरकार है - लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने के लिए अधिकृत। इस धारा के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैं:

" 15. इस संबंध में नियम बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति

लघु खनिज। - (1) राज्य सरकार द्वारा

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना विनियमन के लिए नियम बनाती है

खदान पट्टा, खनन पट्टा या अन्य खनिज रियायतों का अनुदान

लघु खनिजों के संबंध में और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए। (1 ए) विशेष रूप से और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

पूर्वगामी शक्ति, ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं निम्नलिखित मामले, अर्थात् -

XX

XX

XX

((घ) वे शर्तें जिन पर और जिनके अधीन शर्तें और

प्राधिकरण जिसके द्वारा खदान पट्टे, खनन पट्टे या अन्य खनिज

रियायतें दी जा सकती हैं या उनका नवीनीकरण किया जा सकता है।

XX

XX

XX

(ओ) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जा सकता है।

XX "

XX

XX

9. खानों के माध्यम से इस अधिनियम में एक संशोधन किया गया था और

खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1999 (1999 का संख्या 38) जो 18 दिसंबर, 1999 से प्रभावी हुआ। इस संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 4 (1 ए), धारा 23-ए और धारा 23-सी को जोड़ा गया था। हम इन खंडों को इसके साथ पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे

उन उद्देश्यों और कारणों का विवरण जिसने विधानमंडल को इन प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए प्रेरित कियाः

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। लिए गए निर्णयों का परिणाम राज्य मंत्रियों/खान सचिवों के सम्मेलन में

और दिसंबर, 1996 में आयोजित भूविज्ञान, के तहत एक समिति तत्कालीन सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता [2019] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फरवरी, 1997 में गठित, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारों को संभावित लाइसेंस और खनन पट्टों और अन्य संबंधित अनुमोदनों के अनुदान और नवीनीकरण से संबंधित शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में सिफारिशें करना और इस संबंध में देरी को कम करने के उपायों का सुझाव देना, खनिजों के विनियमन और विकास को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना ताकि उन्हें बदली हुई नीतियों और उपायों के साथ अधिक संगत बनाया जा सके।

अवैध खनन की रोकथाम हेतु। समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकारों को शक्तियों के प्रत्यायोजन, प्रक्रियात्मक सरलीकरण आदि के क्षेत्र में व्यापक सिफारिशें कीं जो राज्यों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगी।

और भावी निवेशक, साथ ही, विशेष रूप से खनन उद्योग के हितों और सामान्य रूप से राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद

समिति की सिफारिशों पर सरकार ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1946 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। 2. किए जाने वाले कुछ अधिक महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं:

XX

XX

XX

((iii) अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है।

परिवहन या भंडारण या किसी भी कारण को प्रतिबंधित करना

देय राशि को छोड़कर किसी भी खनिज का परिवहन या भंडारण

अवैध खनन को रोकने की दृष्टि से अधिनियम के प्रावधान।

इसके अलावा, उल्लंघन को कवर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है

अधिनियम के प्रस्तावित नए प्रावधानों के प्रावधानों से

दंडनीय हो। एक नया प्रावधान शामिल करने का भी प्रस्ताव है

अधिनियम के तहत जब्त की गई किसी भी चीज़ के लिए प्रावधान करना जिसके लिए उत्तरदायी हो अदालती आदेशों के तहत ज़ब्ती। एक नया खंड प्रस्तावित किया गया है

राज्य सरकारों को नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए जोड़ा जाएगा

अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए खनिज और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए।

धारा 4 (1 ए)

कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अलावा किसी भी खनिज का परिवहन या भंडारण या परिवहन या भंडारण नहीं करेगा।

‘ ई ऑफ गुजरात बनाम। जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

धारा 23-सी

(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अवैध खनन, परिवहन को रोकने के लिए नियम बना सकती है।

और खनिजों का भंडारण और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए। (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं

निम्नलिखित मैट्स, अर्थात्:

(क) खनिजों की जाँच के लिए जाँच पदों की स्थापना

पारगमन;

(ख) परिवहन किए जा रहे खनिज की मात्रा को मापने के लिए भार-पुलों की स्थापना;

(ग) प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस या खनन पट्टा या उत्खनन लाइसेंस या परमिट के तहत दिए गए क्षेत्र से खनिज के परिवहन का विनियमन, चाहे किसी भी नाम की अनुमति हो।

खुदाई खनिज, दिया गया है; (घ) उत्खनन या भंडारण के स्थान पर या पारगमन के दौरान खनिजों का निरीक्षण, जांच और खोज;

(ई) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए रजिस्टरों और प्रपत्रों का रखरखाव;

(च) वह अवधि जिसके भीतर और वह प्राधिकार जिसके लिए

इस धारा के तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के संशोधन के लिए आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए भुगतान की जाने वाली फीस और ऐसे प्राधिकारी की शक्तियां

ऐसे आवेदनों का निपटान करना; और

(छ) कोई अन्य मामला जो अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के भंडारण की रोकथाम के उद्देश्य से निर्धारित किया जाना आवश्यक है या हो सकता है।

(3) धारा 30 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार को उप-धारा (1) और (2) के तहत बनाए गए नियमों के तहत राज्य सरकार या उसके किसी अधिकृत अधिकारी या किसी प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होगी।

10. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आक्षेपित नियम एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23-सी के तहत प्रदत्त बकाया राशि का उपयोग करते हुए बनाए गए हैं। इसके अलावा, धारा 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 5 से 13 के प्रावधान [2019] 4 एस. सी. आर. हैं।

लघु खनिजों के संबंध में लागू नहीं, धारा 13 में निहित केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति लघु खनिजों पर लागू नहीं होती है। इस संदर्भ में धारा 15 राज्य सरकार को लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देती है। इस प्रकार, राज्य सरकार को धारा 15 के तहत शक्ति दी गई है। इसे धारा 23-सी के तहत भी शक्ति दी गई है।

11. उपरोक्त चर्चा के संबंध में धारा 15 और 23-सी के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य सरकार की शक्ति

नियम बनाना इन तक सीमित हैः

(क) लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान के लिए नियम बनाना और

उससे जुड़े उद्देश्य; और

(ख) अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के भंडारण को रोकने के लिए और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाना।

12. उपरोक्त संदर्भ में, उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या विधानमंडल द्वारा प्रत्यायोजित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

राज्य सरकार पर, क्या राज्य सरकार इस आशय का नियम बना सकती है कि रेत जो एक लघु खनिज है, उसे गुजरात राज्य की सीमाओं से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस तरह की आवाजाही को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जाएगा। उच्च न्यायालय के अनुसार, उपरोक्त के तहत राज्य सरकार को शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्रावधानों में अंतर-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध शामिल या परिकल्पना नहीं की गई है जो मुक्त होंगे। इस प्रकार, विवादित नियमों को एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 15 और 23-सी के प्रावधानों से परे माना जाता है। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करने वाला भी माना जाता है। विवादित फैसले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार हैः

" 14. जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 4 (1-ए) और धारा 23-सी के प्रावधानों को 1999 के संशोधन द्वारा एक साथ जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य किसी भी खनिज के परिवहन या भंडारण को प्रतिबंधित करना था, सिवाय अधिनियम के प्रावधानों और उस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, अवैध खनन को रोकने की दृष्टि से।

किसी भी खनिज के अंतर-राज्य व्यापार का निषेध या प्रतिबंध न तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से किया गया था और न ही प्रदान किया गया था और न ही इसकी परिकल्पना की गई थी। दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 15 या धारा 23-सी में नियम बनाने की शक्तियों का प्रत्यायोजन धारा 18 की तरह सामान्य शब्दों में नहीं किया गया है।

गुजरात की धारा 18 'ई बनाम। जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

विशेष रूप से केंद्र सरकार को ऐसे नियम बनाने का अधिकार देता है जैसा कि यह पूरे देश में खनिजों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य के लिए उचित समझता है। इस तरह के प्रतिनिधिमंडल के अलावा

व्यापक रूप से संयोजित शक्तियाँ, केंद्र सरकार है

उत्खनन के विनियमन के लिए नियम बनाने के लिए विशेष रूप से अधिकृत

या किसी भी खदान से खनिजों का संग्रह करने के साथ-साथ खनिजों के भंडारण के लिए। इसके विपरीत, राज्य सरकार को खनिजों के विनियमन के लिए सभी खनिजों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है

एक संभावना के तहत दिए गए क्षेत्र से ले जाया जा रहा है

लाइसेंस या खनन पट्टा या खदान लाइसेंस या परमिट। द.

अधिनियम के संदर्भ और समग्र योजना में निहित

धारा 4 (1-ए), 15,18,21 और 23-सी के प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं

कि विनियमित करने या नियम बनाने के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन लघु खनिजों सहित खनिजों का परिवहन या भंडारण,

सशक्त नहीं करता है और राज्य को सशक्त बनाने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है

सरकार आवाजाही पर सीधे प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाएगी खनिज ताकि अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण किया जा सके

शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2005 बनाया गया परिवहन को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 23-सी द्वारा प्रदत्त,

राज्य में खनिजों का कब्जा और भंडारण; और वे नियम चुनौती के दायरे में नहीं हैं। हालाँकि यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विवादित नियमों की वैधता के बारे में यहाँ लिए गए दृष्टिकोण के आलोक में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि नए नियम 71 का हिस्सा

चक्रवृद्धि की सुविधा स्पष्ट रूप से धारा 23-ए के प्रतिकूल है। अधिनियम से। और, यदि विवादित नियमों की वैधता को बरकरार नहीं रखा जा सकता है,

विवादित प्रस्ताव किसी के समर्थन के बिना खड़ा नहीं हो सकता है। कानूनी, कार्यकारी या विधायी प्राधिकरण "।

13. हम, इस स्तर पर, द्वारा दिए गए तर्क का भी उल्लेख कर सकते हैं

आंध्र प्रदेश और मद्रास के न्यायालय अपने विचार के समर्थन में,

एच गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत है। द.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया

निम्नलिखित तरीके सेः

" 27. अधिनियम का सेक्टर 23-सी राज्य सरकार को अधिकृत करता है -

न केवल अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से नियम बनाएँ

लेकिन छोटे खनिजों के परिवहन और भंडारण के लिए भी, जो

शक्ति का अर्थ होगा कि लघु खनिज के बाद भी [2019] 4 एस. सी. आर.

खनन गतिविधि चल रही है। धारा 23-सी के खंड (2) के उपखंड (ए) से (जी) उन मामलों के उदाहरण हैं, जो इसमें शामिल हैं। नियम बनाने की शक्ति के तहत। उप-धारा (2) कहती है कि विशेष रूप से

और प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

धारा 23-सी के तहत, नियम उक्त सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं। उपखंड (ग) स्वयं कहता है कि विनियमन बनाए जा सकते हैं कि खनिज को इसके तहत दिए गए क्षेत्र से ले जाया जा रहा है। लाइसेंस या खनन पट्टा। इनमें से किसी पर भी नियम बनाए जा सकते हैं

उत्खनन किए गए खनिज के परिवहन सहित मामले। अनुभाग

23 - सी शक्ति का स्रोत है जिसके तहत नियम 9-डब्ल्यू को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया था। हमें यह ध्यान रखना होगा कि संसद ने संशोधन अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 38) पारित किया और इस प्रकार प्रधान में धारा 23-सी डाली गई।

कावेरी चेट्टी के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कार्य करें

मामला (ऊपर)। उक्त प्रावधान के अनुसार, शक्ति विशेष रूप से थी

राज्य सरकार को अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने के लिए सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने इसके बाद नियम बनाए हैं। इस प्रकार, पर्याप्त है

राज्य सरकार के साथ संबंधित नियम बनाने की शक्ति

राज्य की सीमाओं से परे उक्त लघु खनिज के परिवहन पर प्रतिबंध। मामले के इस दृष्टिकोण में, चुनौती नियम 9-डब्ल्यू बिना किसी सार के है।

14. इसी तरह, मद्रास उच्च न्यायालय चर्चा करने के लिए आगे बढ़ा है

निम्नलिखित रूप में मुकदमा करें।

" 13. 'विनियमन' शब्द की परिभाषा

श्री वी. टी. गोपालन ने तर्क दिया है कि 'विनियमन' शब्द

अधिनियम की धारा 23-सी में उल्लिखित का अर्थ निषेध नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कानून में पूर्ण निषेध की अनुमति नहीं है, जो अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है और इसलिए, विवादित नियम को कानून में खराब घोषित किया जा सकता है। हमारा मानना है कि 'विनियमन' शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है।

उक्त शब्द को व्यापक अर्थ देना होगा जब

इसमें जनहित शामिल है। (1981) 2 एस. सी. सी. 205 (तमिलनाडु राज्य बनाम। हिंद स्टोन), गुजरात के माननीय सर्वोच्च बनाम।

जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

और्ट निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः

" 10. हमारे सामने रखी गई दलीलों में से एक यह थी कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 15 ने खनन पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने को अधिकृत किया था, न कि उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए जैसा कि नियम 8-सी ने करना चाहा था, और इसलिए नियम 8-सी धारा 15 के अधिकार से बाहर था।

नगरपालिका से ही इस विषय पर जाने-माने मामले

टोरंटो शहर का निगम बनाम। कन्या और वकील ओंटारियो के लिए जनरल बनाम। महान्यायवादी-उपनिवेशों के लिए महाधिवक्ता

यू. पी. राज्य बनाम। हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कार्पोरेशन

लिमिटेड को हमारे ध्यान में लाया गया था। हमें नहीं लगता कि

“ विनियमन "में अर्थ की वह कठोरता है जिसे कभी भी" निषेध "में नहीं लेना चाहिए। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस संदर्भ में

आधुनिक कानून संबंधित हैं क्योंकि वे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ, "विनियमन" को, आवश्यक रूप से, इतनी व्यापक व्याख्या प्राप्त करनी चाहिए कि कुछ स्थितियों में, इसे बाहर करना चाहिए

समस्या यह है कि क्या कोई अधिनियम विनियामक था या कुछ और या क्या कोई प्रतिबंध प्रत्यक्ष था या केवल दूरस्थ या केवल आनुषंगिक शामिल है, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक विचार के रूप में इतना कानूनी नहीं है और यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा का बहिष्कार किसी भी राज्य या राष्ट्रमंडल में एकाधिकार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

एजेंसी, उचित ठहराएँ। यह कहा गया था कि प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों और समय और परिस्थितियों की अपनी सेटिंग के आधार पर आंका जाना चाहिए और यह हो सकता है कि कुछ आर्थिक गतिविधियों के संबंध में और सामाजिक विकास के किसी स्तर पर, राज्य का एकाधिकार ही विनियमन का एकमात्र व्यावहारिक और उचित तरीका था। जिस कानून से हम संबंधित हैं, वह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, [2019] 4 एस. सी. आर. है।

लक्ष्य, जैसा कि हम पहले ही एक से अधिक बार कह चुके हैं,

संरक्षण और विवेकपूर्ण और भेदभावपूर्ण शोषण खनिजों से। निश्चित रूप से, एक दुर्लभ खनिज के मामले में, अनुमति देने के लिए

राज्य या उसकी एजेंसी द्वारा शोषण और शोषण को प्रतिबंधित करना।

निजी एजेंसियों द्वारा संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है

और विवेकपूर्ण शोषण। अगर आप भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं,

आपको वर्तमान में निषेध करना चाहिए। हमें कोई संदेह नहीं है कि

कुछ मामलों में पट्टों को प्रतिबंधित करना विनियमन का हिस्सा है

अधिनियम की धारा 15 द्वारा अनुध्यात "।

इसी तरह, (2000) 8 एस. सी. सी. 655 (खदान मालिकों का संगठन v. बिहार राज्य) यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'विनियमन' शब्द की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। हमारी राय है कि यह निर्णय लेते समय कि क्या निषेध उचित है, न्यायालय को व्यापक सार्वजनिक और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखना होगा।

नागरिक के मौलिक अधिकार के विरुद्ध ब्याज। (2003) 7 एस. सी. सी. 59 (भारतीय हस्तशिल्प एम्पोरियम बनाम। भारत संघ), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि हाथीदांत के व्यापार का निषेध अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं करता है और यह संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के तहत एक उचित प्रतिबंध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारी जनहित को देखते हुए केवल रेत को राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध है। इसलिए, हमारी राय है कि 'विनियमन' शब्द की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसके बाहर खनिजों के निषेध और आवाजाही को शामिल किया जा सके।

राज्य।

XX

XX

XX

16. पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य

सरकार से खरीदी गई रेत को राज्य के बाहर ले जाने के लिए रेत के विक्रेताओं और भवन के ठेकेदारों द्वारा किए गए प्रयासों को देखते हुए उक्त नियम लागू किया गया है। सरकार के अनुसार, उक्त नियम जनहित में बनाया गया है और तमिलनाडु राज्य में उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों के साथ-साथ राज्य में

शहरीकरण की उच्च दर को भी ध्यान में रखा गया है। जवाबी हलफनामे में, सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि अवैध, बिना हिसाब वाली रेत का परिवहन भी राज्य के बाहर किया जाता है। यह सर्वविदित है कि रेत में

वर्तमान रूप में पहले ही कई बदलाव हो चुके हैं। हज़ारों साल। जैसा कि विशेषज्ञ समिति द्वारा पाया गया है, गुजरात राज्य बनाम के कारण।

जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

नदी की रेत के अत्यधिक दोहन और अंधाधुंध खनन से पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रणाली बहुत प्रभावित हुई। विशेषज्ञ समिति ने यह भी पाया है कि अंधाधुंध खनन के परिणामस्वरूप नदी के तल गहरे हो गए हैं, नदियों को चौड़ा किया गया है, नागरिक संरचनाओं को नुकसान हुआ है, भूजल स्तर में कमी आई है।

भूमि की गुणवत्ता में गिरावट, नदियों की प्रणाली को नुकसान और जैव विविधता में कमी। इसलिए, विकासात्मक गतिविधियों के लिए सबसे कम रेत का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यदि राज्य के बाहर विभिन्न स्थानों पर मांग के कारण रेत को ले जाने की अनुमति दी जाती है तो इससे केवल अधिक रेत की मांग बढ़ेगी। इससे पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित होगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना होगा। चाहे वह
अधिकृत हो या न हो, कानूनी हो या अवैध, पर्यावरण का संरक्षण और संरक्षण महत्वपूर्ण है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 48-ए पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के बारे में बात करता है और संविधान का अनुच्छेद 51 (ए) वन, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। माननीय सर्वोच्च ने (2003) 7 एस. सी. सी. 589 (भारतीय

हस्तशिल्प एम्पोरियम बनाम। भारत संघ) कि निदेशक सिद्धांत का कार्यान्वयन आम जनता के हित में प्रतिबंध की अभिव्यक्ति के भीतर है। इसलिए, हमारा मानना है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी विवादित नियम होना चाहिए

टिका हुआ "।

15. न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम में प्रतिपादित सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत की भी सहायता ली। हिंद स्टोन और अन्य 3 के साथ-साथ टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुलपद बनाम। भारत संघ और अन्यसा।

16. गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रितेश कपूर ने पहली बार प्रस्तुत किया कि भाषा का दायरा

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 (1) बहुत व्यापक थी जिसके अनुसार संसद ने राज्यों को लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की पूरी शक्ति सौंप दी थी। उनके अनुसार, इस न्यायालय ने कई निर्णयों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों का निपटारा कियाः

3 (1981) 2 एससीसी 205 4 (2006) 1 एससीसी 1 [2019] 4 एस. सी. आर.

(i) धारा 15 (1) के तहत विनियमन की शक्ति पूर्ण है और संसद ने इस विषय पर राज्यों को पूर्ण नियंत्रण सौंप दिया है।

पदार्थ, अर्थात् लघु खनिज, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लघु खनिजों के विनियमन से जुड़े सभी उद्देश्यों के लिए शक्ति प्रदान की गई है। ((ii) यह शक्ति अनुदान से समाप्त नहीं होती है और अनुदान के बाद भी गतिविधियों को नियंत्रित करना जारी रखती है।

(iii) लघु खनिजों के संबंध में, संसद ने अधिनियम के तहत कोई नियंत्रण नहीं रखा है। ऐतिहासिक रूप से और साथ ही 1957 के अधिनियम के तहत,

संसद द्वारा लघु खनिजों पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार को सौंप दिया गया है क्योंकि इन खनिजों को हमेशा स्थानीय विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

17. उपरोक्त याचिका का समर्थन करने के लिए उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया

डी. के. त्रिवेदी एंड संस एंड अदर्स बनाम गुजरात राज्य और अन्य जहां इस न्यायालय ने राज्य की शक्ति पर विचार किया

सरकारें उक्त धारा 15 के तहत नियम बनाएंगी ताकि वे अपने द्वारा दिए गए लघु खनिजों के पट्टों के संबंध में नियत किराया और रॉयल्टी वसूल सकें और ऐसे पट्टों के निर्वाह के दौरान नियत किराया और रॉयल्टी की दरों में वृद्धि कर सकें।

पट्टा के अनुदान के बाद की शर्तों को नियंत्रित करें। लघु खनिजों के संबंध में विधायी इतिहास का पता लगाने के बाद, यह देखा गया कि अधिनियम के आधार पर पूरे क्षेत्र को संसद द्वारा ले लिया गया था और उसके बाद लघु खनिजों के संबंध में सभी शक्तियां राज्य सरकारों को सौंप दी गई थीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 15 के तहत लघु खनिजों को विनियमित करने की शक्ति बहुत व्यापक है; कि लघु खनिजों पर नियंत्रण विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है; कि लघु खनिजों को ऐतिहासिक रूप से विधायिका द्वारा, स्वतंत्रता से पहले और बाद में, स्थानीय क्षेत्रों और स्थानीय उद्देश्यों के उपयोग के रूप में देखा गया है; और यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वे ऐसे प्रतिबंधों को निर्धारित करें जो वे निम्न नियमों द्वारा उचित समझते हैं।

धारा 15 (1)।

18. उपरोक्त निर्णय से उनकी कार्रवाई यह थी कि यदि विनियमन की शक्ति राज्यों को लघु खनिजों का उपयोग करने की अनुमति देती है

अपनी स्वयं की एजेंसी के माध्यम से राज्य के लाभ के लिए, यह अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने की शक्ति भी शामिल होगी कि निजी पक्ष भी पट्टे की शर्त के रूप में राज्य के भीतर रेत का उपयोग करें। इसके अलावा, तर्क

5 1986 मान लीजिए कि एस. सी. सी. 20 गुजरात राज्य बनाम। जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

कि धारा 15 की उप-धारा (1) लघु खनिजों के संबंध में पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने के लिए है और उस उप-धारा के तहत नियम केवल उस समय के संबंध में बनाए जा सकते हैं जब ऐसे पट्टों या रियायतों को दिया जाता है और उसके बाद के किसी भी समय के संबंध में नहीं, डी. के. त्रिवेदी एंड संस के मामले में विशेष रूप से विचार किया गया था और अस्वीकार कर दिया गया था।

19. श्री कपूर ने यह भी तर्क दिया कि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य ने इस विचार को दोहराया है कि किसी प्राधिकरण को प्रदत्त विनियमन की शक्ति अनुमति देने से खर्च या समाप्त नहीं होती है। उन्होंने हिंद स्टोन और के. रामनाथन बनाम के निर्णयों पर भरोसा किया। तमिलनाडु राज्य और एक अन्य जिसमें इस न्यायालय ने दोहराया कि 'विनियमन' शब्द को व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि के. रामनाथन के मामले में यह न्यायालय आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर धान के परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश की वैधता पर विचार कर रहा है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा हैः

" 19 ..... साथ ही, विनियमन की शक्ति अपने साथ पूरी तरह से वहन करती है। विनियमन के अधीन और के अभाव में चीज़ पर शक्ति

प्रतिबंधात्मक शब्दों में, शक्ति को पूर्ण माना जाना चाहिए

पूरा विषय। विनियमित करने की शक्ति का तात्पर्य है

जाँच करें और कुछ के तहत निषेध करने की शक्ति का संकेत दे सकते हैं

परिस्थितियाँ, जहाँ सबसे अच्छा या एकमात्र प्रभावी विनियमन हो

इसमें दमन शामिल है।

XX

XX

XX

अंतर-राज्य या राज्य के भीतर खाद्य पदार्थों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि थोक द्वारा रखे गए खाद्य पदार्थों का अतिरिक्त भंडार

विक्रेता, कमीशन एजेंट या खुदरा विक्रेता को स्थानों पर नहीं ले जाया जाता है।

उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण के लिए अधिशेष क्षेत्र में कमी वाले क्षेत्र। खाद्य पदार्थों के निर्यात पर इस तरह का प्रतिबंध लगाना

राज्य भर में या राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में

6 (2009) 6 एससीसी 235 7 (1985) 2 एससीसी 116 [2019] 4 एस. सी. आर.

राज्य से खाद्य पदार्थों के बहिर्वाह को रोकने के लिए दृष्टिकोण जो एक है अधिशेष राज्य इस तरह के खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को रोकता है

बेईमान व्यापारियों द्वारा कृत्रिम रूप से कमी पैदा करके। ये

नियामक उपायों के अलावा और कुछ नहीं हैं।

20. श्री कपूर ने आगे कहा कि उपरोक्त टिप्पणियाँ और

उपरोक्त दोनों मामलों में विनियमन की शक्ति को दी गई विस्तृत व्याख्या को इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघ बनाम. वेस्ट यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन और अन्य। इस मामले में, संविधान पीठ राज्य सरकार की इस क्षमता पर विचार कर रही थी कि वह गन्ने की खरीद के लिए राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य को तय करे।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त चीनी कारखाना। सुसंगत धारा, अर्थात धारा 16, ने भी केवल विनियमन की शक्ति और नियमों और शर्तों के लिए प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की। और मूल्य निर्धारित करने की शक्ति नहीं दी। उस पहलू पर चर्चा करते हुए, यह निम्नानुसार देखा गयाः

" "विनियमन" का अर्थ है नियम या विषय द्वारा नियंत्रित करना या समायोजित करना।

शासी सिद्धांतों के लिए। यह व्यापक प्रभाव वाला शब्द है।

जिसका अर्थ है सभी पहलुओं को समझना न केवल विशेष रूप से गणना की गई है

अधिनियम में, लेकिन इसके अंतर्गत आकस्मिक शक्तियों को भी शामिल करता है

सद्भावना में परिकल्पित विनियमन और इसका अर्थ होना चाहिए

जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है और

उद्देश्य

कानून का "।

21. उपरोक्त निर्णयों के आधार पर, श्री.

कपूर ने कहा कि इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि विनियमन की शक्ति व्यापक आयाम की है और इसलिए, इसमें लघु खनिजों की आवाजाही को विनियमित करने की शक्ति भी शामिल होगी, जिसमें गुजरात राज्य के बाहर खुदाई की गई रेत को पट्टे पर नहीं ले जाने की शर्त भी शामिल है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय तमिलनाडु राज्य बनाम. एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी ने कहा कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत राज्य सरकार को खनन के बाद छोटे खनिजों पर नियंत्रण रखने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। उनका निवेदन था कि यह एकमात्र निर्णय है जिसने असंगत नोट लिया है और यह निर्णय लेते समय, डी. के. त्रिवेदी एंड संस में पहले के फैसले को अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया था।

22. श्री कपूर का एक और समर्पण यह था कि उसे बनाने की शक्ति थी।

8 (2004) 5 एससीसी 430

9 (1995) 2 एस. सी. सी. 402 गुजरात राज्य बनाम।

जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

इस तरह के नियम का पता एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 (1ए) (डी) से लगाया जा सकता है। यह खंड राज्य सरकार को खनन पट्टे में शर्तें लगाने का अधिकार देता है और इसलिए, इसमें खनिजों के स्वामित्व से जुड़ी ऐसी सभी शर्तें लागू करने की शक्ति शामिल होगी। चूंकि यह राज्य है सरकार जो खनिजों की स्वामी है और खनिज जो इसमें निहित हैं, जैसा कि अमृतलाल नाथूभाई शाह और अन्य बनाम में माना गया है। भारत की केंद्र सरकार और अन्य 1 0, लाइसेंस देते समय, यह ऐसे खनिजों की आवाजाही और प्रवाह से संबंधित शर्तों को भी रख सकती है। उन्होंने मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम में निम्नलिखित टिप्पणियों से भी समर्थन लिया। भारत संघ और अन्य 1 1:

" 86 ..... अमृतलाल नाथूभाई शाह में इस न्यायालय का निर्णय एक ओर खनिज को अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग करने के लिए आरक्षण की शक्ति और दूसरी ओर 1957 के अधिनियम और 1960 के नियमों के तहत खानों और खनिज विकास के विनियमन के बीच अंतर स्थापित करता है। राज्य सरकार का अपने क्षेत्र के भीतर किसी विशेष खनन क्षेत्र को अपने स्वयं के उपयोग के लिए आरक्षित करने का अधिकार स्वामित्व की संतान है और यह उससे अविभाज्य है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया जाता है।

1957 के अधिनियम द्वारा उपयुक्त कानून जो संसद द्वारा नहीं किया गया है। मेरे विचार में, अपने अनन्य उपयोग के लिए और अपने प्रभुत्व और नियंत्रण के तहत एक राज्य द्वारा स्वामित्व वाली भूमि को अलग करना है।

संप्रभुता और स्वामित्व की एक घटना।

23. श्री कपूर ने तर्क दिया कि किसी भी मामले में, विवादित नियम बनाने की शक्ति एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23-सी द्वारा भी प्रदान की जाती है। के अनुसार

उनके लिए, यह तर्क देना गलत होगा कि धारा 23-सी (1) में आने वाले 'अवैध' शब्द को 'परिवहन और भंडारण' शब्दों के योग्य भी होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, उप-धारा (2) (सी) में ऐसे कोई योग्य शब्द नहीं हैं जो उप-धारा (1) को 'पूर्वाग्रह के बिना' शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए, दोनों उप-खंडों को स्वतंत्र रूप से समझा जाना चाहिए और न ही दूसरे की चौड़ाई को कम किया जा सकता है।

24. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वन उपज के परिवहन को विनियमित करने के लिए एक समान शक्ति का अर्थ लगाते हुए, इस न्यायालय ने परिवहन को प्रतिबंधित करने वाले नियम को बरकरार रखा

त्रिपुरा राज्य और अन्य के मामले में राज्य की सीमाओं से परे v. सुधीर रंजन नाथ 1 2 निम्नलिखित शब्दों में:

“ ..... इस अधिनियम का उद्देश्य वनों का संरक्षण और संरक्षण करना है देश की संपत्ति और कटाई, हटाने, परिवहन को विनियमित करना।

1 0 10 (1976) 4 एस. सी. सी 108

1 1 11 (2012) 11 एस. सी. सी 1

12 (1997) 3 एससीसी 665 [2019] 4 एस. सी. आर.

वन और भूमि जो सरकार की संपत्ति नहीं है और यहां तक कि बहाव और फंसे हुए लकड़ी के संग्रह और आवाजाही को भी नियंत्रित करती है। यह एक कर लगाने वाला अधिनियम नहीं है, बल्कि वन संपदा के संरक्षण, संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया गया एक अधिनियम है। राष्ट्र को। इसे अनिवार्य रूप से राज्य के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने दायरे में लेना चाहिए और यही उप-नियम (8) प्रदान करता है। इसलिए हमारी राय में नियम 3 का उप-नियम (8) है -

पूरी तरह से वैध "।

25. श्री कपूर का अंतिम निवेदन था कि एक बार यह स्पष्ट हो जाए कि राज्य को लघु खनिजों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

सरकार अपनी गतिविधियों को विनियमित करने की शक्ति को भी शामिल करेगी,

इसे संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन मानने का कोई सवाल ही नहीं था। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया। हिंद स्टोन के मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस मामले में अदालत ने विशेष रूप से कहा कि व्यापारिक सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रतिपूरक कर लगाने वाले नियामक उपाय या उपाय नहीं आते हैं

अनुच्छेद 301 द्वारा अनुध्यात प्रतिबंधों के दायरे में। इसी तरह, उनके अनुसार, सुधीर रंजन नाथ के मामले में, इस अदालत ने यह निर्णय दिया था कि एक बार जब राज्य द्वारा संसद के प्रतिनिधि के रूप में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधान को अनुच्छेद 307 द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, तो यह प्रभावित नहीं होगा। अनुच्छेद 301 द्वारा। इसलिए, इस तरह का नियम संघवाद के सिद्धांत को आहत नहीं करेगा।

26. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह संघ है जो इस देश में खनिजों को विनियमित और नियंत्रित कर सकता है और राज्य इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं -

संघ के प्रतिनिधियों के रूप में लघु खनिजों, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए भारत संघ को भी इन कार्यवाहियों की सूचना जारी करना उचित समझा था। भारत संघ ने अपना जवाब दाखिल करते हुए एक विशिष्ट रुख अपनाया है कि 1966 के नियमों के 44-बीबी या 2010 के नियमों के नियम 71 की तरह नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है। सुश्री माधवी दीवान, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत संघ की ओर से पेश हुईं और मामले को और भी उच्च स्तर पर उठाया। उनका तर्क था कि भारत संघ के पास भी इन कार्यवाहियों में आक्षेपित प्रकृति के नियम बनाने की ऐसी कोई शक्ति नहीं है क्योंकि ये गुजरात राज्य के अनुच्छेद 5 के खिलाफ होंगे।

301 संविधान से। इसलिए, किसी भी परिस्थिति में ऐसी शक्ति राज्य सरकार के पास निहित नहीं हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 15 जो राज्य सरकार को लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है, खनन पट्टे के नियमों और शर्तों के तहत पहले से ही खुदाई किए गए लघु खनिजों के विनियमन तक नहीं फैली है। एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह स्पष्ट किया गया है जिसमें इस न्यायालय ने खुदाई के बाद ग्रेनाइट की बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को निरस्त करने को बरकरार रखा है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार के पास एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 15 के तहत खनन के बाद छोटे खनिजों पर नियंत्रण रखने की कोई शक्ति नहीं है। धारा 15 के तहत शक्ति थी छोटे खनिजों के खनन के बाद उनकी बिक्री या बिक्री मूल्य को नियंत्रित करने के लिए राज्य को प्रतिबंधित और सशक्त नहीं किया। बाद के फैसले का पालन के. टी. वर्गीज और अन्य मामलों में तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में किया गया है। वी. केरल राज्य & Ors.[13] 13. बाद के मामले में, लाइसेंस की विवादित शर्तों में से एक यह थी कि खनिजों को केवल केरल राज्य के भीतर ही बेचा जा सकता था, वह भी घरेलू और कृषि उद्देश्यों के लिए।

वही अस्वीकार्य पाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि एक ओर अमृतलाल नाथूभाई शाह और डी. के. त्रिवेदी एंड संस और दूसरी ओर एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी में इस अदालत के फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं है। उनका तर्क था कि अमृतलाल नाथूभाई शाह में, जबकि यह दृढ़ता से कहा गया था कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र और खनिजों के भीतर 'खनिजों की मालिक' है

इसमें निहित, यह सार्वजनिक क्षेत्र में बॉक्साइट के दोहन के कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा आरक्षण को चुनौती देने के संदर्भ में आयोजित किया गया था। निजी दलों ने इस आशय की अधिसूचना को चुनौती दी और केंद्र सरकार, जिसे उन्होंने संशोधन के लिए आवेदन किया था, ने कहा कि खनिज राज्य सरकार में निहित हैं जो इसकी मालिक है और राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र के लिए आरक्षित करने का अंतर्निहित अधिकार है। सार्वजनिक क्षेत्र में दोहन। उन्होंने इस तरह के प्रस्ताव से झगड़ा नहीं किया। हालाँकि, उनकी चेतावनी यह थी कि यह एक ऐसा मामला था जहाँ निजी पक्षों के पक्ष में कोई पट्टा नहीं था, बल्कि निजी पक्ष पट्टा देने के लिए सरकार से याचिका दायर कर रहे थे।

27. इसी तरह, डी. के. त्रिवेदी एंड संस मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि छोटे खनिजों का उपयोग ज्यादातर स्थानीय क्षेत्रों में और स्थानीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

लघु खनिजों के अलावा अन्य खनिज राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह पूरी तरह से अलग प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त मामले में निष्कर्ष यह है कि

13 (2008) 3 एस. सी. सी. 735 [2019] 4 एस. सी. आर.

राज्य सरकार पट्टे के निर्वाह के दौरान भी किराए में वृद्धि कर सकती है, वर्तमान मामले में इसका कोई आवेदन नहीं है। डी. के. त्रिवेदी एंड संस में इस न्यायालय की ऐसी टिप्पणियां नियत किराए में वृद्धि के संदर्भ में थीं जो रॉयल्टी के अलावा पट्टेदार द्वारा पट्टे के अनुदान के लिए विचार में एक निश्चित राशि के रूप में एकत्र की जाती है और खानों और खनिजों के विनियमन और विकास के लिए आकस्मिक है जो एम. एम. डी. आर. अधिनियम का घोषित उद्देश्य है जैसा कि इसकी प्रस्तावना में कहा गया है। लेकिन वर्तमान मामले में,

संसद के प्रतिनिधि के रूप में राज्य को दी गई शक्तियों से परे और तदनुसार निरस्त कर दिया गया। 28. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भी अपीलार्थियों के इस तर्क का खंडन किया कि विनियमन की शक्ति में राज्य से बाहर आवाजाही को प्रतिबंधित करने की शक्ति शामिल होगी। उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि यह अच्छी तरह से तय है कि 'विनियमन' अभिव्यक्ति के कई अर्थ हैं और यह निषेध (सुधीर रंजन नाथ और हिंद स्टोन) को संदर्भित कर सकता है, वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या कानूनी रूप से खनन की गई सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ परिस्थितियों में खनन पर या उपरोक्त अधिनियम के तहत पट्टे देने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन अवैध परिवहन पर नहीं।

खनन। 29. इस रंग में, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि धारा 23-सी को 'अवैध खनन' पर अंकुश लगाने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ जोड़ा गया था। इसलिए,

उसमें आने वाले शब्द 'परिवहन' और 'भंडारण' का रंग 'गैर-कानूनी खनन' के सिद्धांत पर 'गैर-कानूनी खनन' से लिया जाएगा। यह उद्देश्यों और कारणों के कथन से भी स्पष्ट था। उपरोक्त आधार पर, सुश्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि राज्य सरकार के पास ऐसा प्रावधान करने की शक्ति की कमी है जिसका न तो एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15,15 (1ए) या 23 से पता लगाया जा सकता है।

30. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अतिरिक्त तर्क दिया

कि जनहित का भी कोई सवाल नहीं था। इस पहलू पर, उनका तर्क था कि संसद खनन गतिविधि के कारण प्रभावित पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पूरी तरह से सचेत थी, जो चिंता का विषय है गुजरात राज्य बनाम।

जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 ए में परिलक्षित होता है। इस प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के आरक्षण के हित में समीचीनता के कारण संभावित लाइसेंस या खनन पट्टों को समाप्त करने का प्रावधान है।

पर्यावरण और खनिज संसाधनों का संरक्षण। इसके अलावा, धारा 18 में प्रावधान है कि यह केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वह सभी को ले ऐसे कदम जो भारत में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए और खनन संचालन की संभावना के कारण होने वाले किसी भी प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इस संबंध में, केंद्र सरकार है -

जैसा उचित लगे नियम बनाने के लिए सशक्त। दूसरे शब्दों में, केंद्र सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने वाले विशिष्ट प्रावधान हैं

पर्यावरण के हित में खनिजों के संरक्षण के संबंध में। 31. सुश्री दीवान ने यह भी तर्क दिया कि विवादित नियम संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता को बाधित करना चाहते हैं। संविधान के भाग XIII के पीछे के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, जो अनुच्छेद 301 से शुरू होता है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह आर्थिक एकीकरण प्राप्त करना था। इसके अलावा, संतुलन

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि देश का विकास और आर्थिक समानता आर्थिक एकीकरण का समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने उपरोक्त पहलुओं पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और इस दलील के साथ अपनी दलीलों का समापन किया कि विवादित फैसले में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष इस पहलू पर भी सही था। 32. श्री डी. एन. रे, अधिवक्ता, निजी उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए और लगभग उसी तर्ज पर अपनी दलीलें दीं जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था। इसलिए इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

33. हमने दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों पर उचित विचार किया है।

विचार निम्नानुसार हैंः (क) क्या संसद के प्रतिनिधि के रूप में गुजरात राज्य द्वारा बनाए गए विवादित नियम इसके तहत दी गई शक्तियों से परे हैं।

एमएमडीआर अधिनियम? दूसरे शब्दों में, क्या विवादित नियम एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15,15 ए और 23-सी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं?

(ख) क्या विवादित नियम भारत के संविधान के भाग XIII का उल्लंघन करते हैं?

लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य रियायतों के अनुदान को 'विनियमित' करने के लिए और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाना। विनियमन की यह शक्ति पट्टा देने से संबंधित है। यह श्री कपूर का निवेदन है कि अभिव्यक्ति 'विनियमन' यह सबसे व्यापक आयाम का है और इसलिए इसमें बनाए गए प्रकृति के नियमों को बनाने की शक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है जिसमें 'विनियमन' अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि किसी भी मामले में धारा 15 (1 ए) के तहत ऐसी शक्ति है और इस प्रावधान को धारा 15 (1) से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

36. एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी और के. टी. वर्गीज में इस न्यायालय के फैसलों को देखते हुए उपरोक्त तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है।

उन निर्णयों में, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 15 के तहत राज्य सरकार की शक्ति में खनन के बाद लघु खनिजों पर नियंत्रण शामिल नहीं है। उक्त निर्णय से निम्नलिखित टिप्पणियाँ यहाँ निकाली गई हैं:

" 19. उच्च न्यायालय ने नियम 8-डी और 19-बी को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया कि उक्त अधिनियम की धारा 15 ने

राज्य सरकार आंतरिक या विदेशी नियमन के लिए नियम बनाएगी

खनन के बाद ग्रेनाइट का व्यापार। धारा 15 राज्य सरकार को किसी राज्य को सक्षम बनाने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार नहीं देती है।

ग्रेनाइट के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने के लिए सरकारी कंपनी या निगम।

20. अपीलार्थी राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नियम 8-डी और 19-बी उक्त अधिनियम की प्रस्तावना और उसकी धारा 18 को ध्यान में रखते हुए वैध थे। उन्होंने कहा कि धारा 15 (0) के तहत राज्य की नियम बनाने की शक्ति इतनी व्यापक थी कि

नियम 8-डी और 19-बी शामिल हैं।

21. उक्त अधिनियम खानों के विनियमन और संघ के नियंत्रण में खनिजों के विकास के प्रावधान के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 घोषित करती है कि यह जनता के लिए समीचीन है। इस बात का हित
कि संघ को खदानों के विनियमन और खनिजों के विकास को उक्त अधिनियम में प्रदान की गई सीमा तक अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। धारा 13 केंद्र सरकार को 'ई ऑफ गुजरात बनाम' का अधिकार देती है।

जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

खनिजों के संबंध में और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए संभावित लाइसेंस और खनिज पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाना। धारा 15 की उप-धारा (1) राज्य सरकार को खदान पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।

लघु खनिजों के संबंध में और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए खनन पट्टे और अन्य खनिज रियायतें। धारा 15 की उप-धारा (1क) में कहा गया है कि ऐसे नियम उसमें निर्धारित मामलों के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात् वह व्यक्ति जिसके द्वारा और जिस तरीके से खदान पट्टे, खनन पट्टे और इसी तरह के लिए आवेदन किया जा सकता है; उसके लिए भुगतान की जाने वाली शुल्क; जिस समय और प्रपत्र में आवेदन किया जाना है; वे मामले जिन पर विचार किया जाना है जहां उसी दिन उसी भूमि के संबंध में आवेदन प्राप्त होते हैं; वे नियम और शर्तें जिन पर विचार किया जाना है। पट्टों को दिया या विनियमित किया जा सकता है; इस संबंध में प्रक्रिया; पट्टाधारकों को दी जाने वाली सुविधाएं; किराया और अन्य शुल्कों का निर्धारण और संग्रह और जिस समय के भीतर वे देय हैं; तीसरे पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा; वनस्पतियों की सुरक्षा; पट्टे के हस्तांतरण का तरीका; सड़कों, बिजली संचरण लाइनों आदि का निर्माण, रखरखाव और उपयोग। भूमि पर; बनाए रखने के लिए रजिस्टरों का रूप; रिपोर्ट और विवरण प्रस्तुत किए जाने हैं और किसे; और

उक्त नियमों के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश का संशोधन।

उप-धारा (1-ए) के खंड (ओ) में लिखा है "कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है"। उक्त अधिनियम की धारा 18 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो पर्यावरण के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक हों, किसी भी प्रदूषण को रोककर या नियंत्रित करके जो संभावना या खनन के कारण हो सकता है।

संचालन।

22. नियम 8-डी और 19-बी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों या राज्य सरकार की कंपनी या निगम को सशक्त बनाते हैं क्योंकि राज्य सरकार उत्खनन किए गए ग्रेनाइट या सजावटी या सजावटी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त अन्य चट्टान के प्रत्येक परमिट धारक द्वारा बिक्री को नियंत्रित करने का निर्देश दे सकती है। वे राज्य सरकार या उसके अधिकारियों या राज्य सरकार की कंपनी या निगम को, जैसा भी मामला हो, इसकी बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी देते हैं। उद्देश्य, जैसा कि सरकारी आदेश संख्या 214 दिनांकित 10-6-1992 की शर्तों द्वारा दिखाया गया है, ऊपर उद्धृत, संरक्षण और सुरक्षा करना है।

ग्रेनाइट संसाधन।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. यह देखना मुश्किल है कि खुदाई और फिक्सिंग के बाद ग्रेनाइट की बिक्री को नियंत्रित करके ग्रेनाइट संसाधनों की रक्षा कैसे की जा सकती है। न्यूनतम कीमत।

24. उक्त अधिनियम के तहत राज्य सरकार को खनन के बाद छोटे खनिजों पर नियंत्रण रखने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। अधीनस्थ नियम बनाने वाले प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार की शक्ति धारा 15 में निर्धारित तरीके से प्रतिबंधित है। लघु खनिज की बिक्री और बिक्री मूल्य को नियंत्रित करने की शक्ति धारा 15 की उप-धारा (1-ए) के खंड (0) की शर्तों के अंतर्गत नहीं आती है। यह खंड केवल खदान और खनन पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के अनुदान के विनियमन से संबंधित हो सकता है और यह विनियमन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।

पहले से ही खनन किए गए खनिजों की बिक्री।

37. इसी तरह, केरल राज्य द्वारा इस प्रभाव से दिए गए लाइसेंस की शर्त कि इसे केवल राज्य के भीतर ही बेचा जा सकता है, वह भी घरेलू और कृषि उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित शब्दों में निरस्त कर दिया गया थाः

" 3. अपीलार्थी की शिकायत है कि आदेश जारी करते समय प्रतिबंधों के रूप में कुछ शर्तों को शामिल किया गया है।

लाइसेंस। ऐसी शर्तों में से एक जिस पर अपीलकर्ता हमला करते हैं, वह यह है कि जिन खनिजों को भंडारित करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें केवल उस ओर से अधिकृत उत्खनन परमिट-धारकों से खरीदा जाना था। एक अन्य शर्त यह है कि उन्हें केवल केरल राज्य के भीतर खनिजों को बेचने की अनुमति है, वह भी घरेलू और विदेशी मुद्राओं के लिए।
कृषि उद्देश्य। अपीलार्थियों की शिकायत है कि जहां तक सहकारी समितियों का संबंध है, वे अपीलार्थियों के मामले में लगाए गए ऐसे किसी भी प्रतिबंध से प्रभावित नहीं हैं। इस प्रकार, अपीलार्थियों के अनुसार, सहकारी समितियों और व्यक्तियों के बीच स्पष्ट भेदभाव है -

उन्हें दिए गए लाइसेंसों में लगाए गए प्रतिबंध। इसके अलावा

कि इस तरह के प्रतिबंधों के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं है।

38. श्री कपूर का यह तर्क कि एम. पी. पी. कावेरी चेट्टी ने डी. के. त्रिवेदी एंड संस में पहले के फैसले पर विचार नहीं किया, गलत है। इस ओर से हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से पूरी तरह सहमत हैं।

डी. के. त्रिवेदी एंड संस में निर्णय और श्री कपूर द्वारा उद्धृत अन्य निर्णय स्पष्ट रूप से अलग हैं क्योंकि उन मामलों में संदर्भ और विषय पूरी तरह से अलग थे। मामलों के दो समूहों में अंतर को इंगित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम गुजरात राज्य v से पूरी तरह सहमत हैं।

जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

दोनों के बीच अंतर करने और यह इंगित करने में कि कोई संघर्ष नहीं है, सुश्री दीवान का तर्क। वह सही हैं कि मामलों के दो सेटों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जा सकता है।

39. अमृतलाल नाथूभाई शाह, डी. के. त्रिवेदी एंड संस और हिंद स्टोन के मामलों में, विचाराधीन उपायों का अनुदान या पट्टा देने से इनकार के साथ सीधा संबंध था। तत्काल अपीलों में, जो पहले से ही खुदाई किए गए खनिजों की बिक्री से संबंधित हैं, जो पट्टेदार के हैं, राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर इसकी बिक्री पर प्रतिबंध एमएमडीआर अधिनियम के तहत अनुमत नहीं है। हिंद स्टोन के मामले में, इस न्यायालय ने एमएमडीआर अधिनियम के दायरे और दायरे को संक्षेप में बताया, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि अधिनियम का उद्देश्य 'खनिजों का संरक्षण और विवेकपूर्ण और भेदभावपूर्ण दोहन' है। उक्त निर्णय के बाद के पारित होने से पता चलता है कि विनियमन की एक विधि के रूप में, निषेध स्पष्ट रूप से अनुमत है, बशर्ते कि इसका सीधे संबंध है

खनिजों का संरक्षण, दोहन और उत्खननः

" 10 ..... जिस प्रतिमा से हम संबंधित हैं, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, जिसका उद्देश्य है, जैसा कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, खनिजों के संरक्षण और विवेकपूर्ण और भेदभावपूर्ण दोहन पर है। निश्चित रूप से, दुर्लभ खनिज के मामले में, राज्य या उसकी एजेंसी द्वारा दोहन की अनुमति देना और निजी एजेंसियों द्वारा दोहन को प्रतिबंधित करना संरक्षण और विवेकपूर्ण दोहन का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर आप चाहते हैं भविष्य के लिए बचाओ, आपको वर्तमान में निषेध करना चाहिए। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ मामलों में पट्टों का निषेध अधिनियम की धारा 15 द्वारा विचार किए गए विनियमन का हिस्सा है।

40. दूसरी ओर, परिवहन या बिक्री पर प्रतिबंध

राज्य के बाहर पहले से ही खनन किए गए खनिजों का एम. एम. डी. आर. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है।

खनिजों का संरक्षण और विवेकपूर्ण दोहन।

41. जहाँ तक एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23-सी का संबंध है, इसे अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से 1999 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह वस्तु और कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हम इसके एक हिस्से को फिर से प्रस्तुत कर सकते हैंः

" ((iii) अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है।

परिवहन या भंडारण या किसी भी कारण को प्रतिबंधित करना

देय राशि को छोड़कर किसी भी खनिज का परिवहन या भंडारण अवैध खनन को रोकने की दृष्टि से अधिनियम के प्रावधान।

19] 4 एस सी आर।

इसके अलावा, उल्लंघन को कवर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है

अधिनियम के प्रस्तावित नए प्रावधानों के प्रावधान

दंडनीय। प्रदान करने के लिए एक नया प्रावधान शामिल करने का भी प्रस्ताव है

अधिनियम के तहत जब्त की गई किसी भी चीज़ के लिए जिसके तहत ज़ब्त किया जा सकता है अदालती आदेश। सशक्तीकरण के लिए एक नया खंड जोड़ने का प्रस्ताव है

राज्य सरकारें अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाएंगी,

खनिजों का परिवहन और भंडारण और संबंधित उद्देश्यों के लिए

इसके साथ।

(जोर दिया गया) "

42. इस संदर्भ में 'परिवहन' और 'भंडारण' शब्द हैं।

धारा 23-सी की व्याख्या की जानी है। यहाँ इन दोनों शब्दों का उपयोग 'अवैध खनन' के संदर्भ में किया गया है। यह स्पष्ट है कि यह अवैध खनन का परिवहन और भंडारण है, न कि रेत जैसे छोटे खनिजों का खनन। जो कानूनी है और विधिवत स्वीकृत लाइसेंस द्वारा समर्थित है, जिसे इस प्रावधान के तहत विनियमित किया जा सकता है। इसलिए, कानूनी रूप से खुदाई किए गए खनिजों के परिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए इस प्रावधान से कोई शक्ति प्रवाहित नहीं होती है।

43. जहाँ तक उपरोक्त मुद्दा सं. (ख) का संबंध है, हम भी

माना जाता है कि विवादित नियम संविधान के भाग XIII का उल्लंघन करते हैं क्योंकि इसका प्रभाव संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता को बाधित करना है। इस अनुच्छेद के तहत, 'स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति को 'भारत के पूरे क्षेत्र में' अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 302 के तहत, संसद एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य या संभोग की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, जो जनहित में आवश्यक हो। 'जनहित' अभिव्यक्ति में एक क्षेत्रीय हित भी शामिल हो सकता है। हालांकि, अनुच्छेद 303 अनुच्छेद 303 द्वारा योग्य है जो संसद और राज्य विधानमंडलों को ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता देता है या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच भेदभाव करता है। कमी की स्थितियों से संसद को अनुच्छेद 302 (2) के तहत निपटना है। व्यापार, वाणिज्य या संभोग की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति, जो जनहित में आवश्यक हो, के लिए ऐसे विधेयक या संशोधन को पेश करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही राज्य विधानमंडल। राष्ट्रपति, राज्य के प्रमुख और संघ के संरक्षक होने के नाते, संतुष्ट होना चाहिए कि इस तरह के कानून की वास्तव में आवश्यकता है और इस प्रकार, राष्ट्रीय

हित पर प्रांतीय हितों को बढ़ावा देने पर रोक के रूप में कार्य करता है। इस अध्याय की उपरोक्त योजना के अनुसार, यह गुजरात V का कथन है।

44. इसके अलावा, हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के निवेदन में बल पाते हैं कि संविधान का भाग XIII एक संहिता है देश के आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधायी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन पर। वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में इस पर जोर दिया गया था। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. पंजाब राज्य और Anr.[1] 14 जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 20. ..... हमारी राय में, संविधान के भाग XIII को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। यह एक संघीय योजना की परिकल्पना करने वाले एकल संवैधानिक साधन का हिस्सा है और इसमें राज्यों को सातवीं अनुसूची की सूची II से संबंधित मामलों के संबंध में विधायी शक्तियां प्रदान करने वाली सामान्य योजना शामिल है। यह राज्यों को अपने उद्देश्यों के लिए राजस्व बढ़ाने की पूर्ण शक्तियां भी प्रदान करता है और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य के प्रत्येक कानून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। भारत का संविधान एक जैविक है दस्तावेज़। इसका इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बढ़ते और विकसित होते समाज में स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढाल ले। का अर्थ

इसलिए, वहां उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह भारत संघ में विभिन्न राज्यों की शक्ति और अधिकारों के वितरण की वर्तमान समस्या को हल करने का प्रयास करे, और भविष्य की आकस्मिकताओं का अनुमान लगाए जो एक विकासशील जीव में उत्पन्न हो सकती हैं। संविधान को प्रासंगिक समय पर वर्तमान को समझने और भविष्य का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए जो स्वाभाविक और आवश्यक है। एक बढ़ते और जीवित जीव के लिए परिणाम। यह संवैधानिक निर्णय का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए, अन्य सभी राज्यों के साथ इन्हें समानता में लाने और इस तरह भारत की आर्थिक एकता विकसित करने के लिए राज्यों का आर्थिक विकास इस देश की संवैधानिक आकांक्षाओं की प्रमुख प्रतिबद्धताओं या लक्ष्यों में से एक है। एक व्यवस्थित समाज के काम करने के लिए सभी की आर्थिक समानता

राज्य भी आर्थिक एकता की तरह ही महत्वपूर्ण हैं।

वस्तुओं, सेवाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता और एक साझा बाजार के निर्माण को प्रासंगिक और आवश्यक रूप से समझा जाना चाहिए।

एक आर्थिक संघ का निर्माण।

1 4 14 (1990) 3 एस. सी. सी 87 [2019] 4 एस. सी. आर.

45. सभी उत्तरदाताओं द्वारा यह भी सही तर्क दिया गया है कि देश का संतुलित विकास आर्थिक विकास का एक समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू है

एकीकरण। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाग XIII कुछ प्रकार के भेदभाव की अनुमति देता है, उदाहरण के लिए, एक पिछड़े क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए या देश के उन हिस्सों के लिए एक समान अवसर बनाने के लिए जो वांछित स्तर तक नहीं पहुंचे हैं।

विकास के लिए। इस संदर्भ में, भाग XIII में एक दो गुना वस्तु की परिकल्पना की गई है: (i) व्यापार, वाणिज्य में सुगमता के माध्यम से एक साझा बाजार की सुविधा प्रदान करना।

और बाधाओं को मिटाकर संभोग; और (ii) विनियम (या प्रतिबंध) जो राज्यों या क्षेत्रों के बीच अंतर करने का प्रभाव डाल सकते हैं जो न केवल कमी आदि की आकस्मिक परिस्थितियों में आवश्यक हो सकते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी या अन्यथा जनहित में उचित हो सकते हैं। वह भाग XIII केवल "स्वतंत्रता" के बारे में नहीं है, बल्कि नियंत्रण और संतुलन की एक संहिता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक एकता और समानता प्राप्त करना है। नियंत्रण और संतुलन के माध्यम से आर्थिक एकीकरण के लिए इस तरह के वांछित उद्देश्य को वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट में भी व्यक्त किया गया था। लि. :

" 36. ..... आर्थिक एकता एक वांछित लक्ष्य है, आर्थिक संतुलन और समृद्धि भी लक्ष्य है। समानता पर विकास संविधान की प्रतिबद्धताओं में से एक है। अनुच्छेद 38 और 39 में निहित निर्देशक सिद्धांतों को आर्थिक एकता के साथ-साथ विकसित और अविकसित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के साथ सुसंगत बनाया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 के आलोक में यह आवश्यक है

प्रयुक्त अभिव्यक्तियों के अर्थ को स्पष्ट करें और प्रकाशित करें। उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों का अर्थ गतिशील स्थितियों के विकास में अपना आकार और रंग लेता है। एक पिछड़ा राज्य या एक अशांत राज्य समानता के साथ उन्नत या उन्नत के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हो सकता है। विकसित राज्य। किसी राज्य के भीतर भी अक्सर पिछड़े क्षेत्र होते हैं जिनका विकास तभी किया जा सकता है जब कुछ विशेष प्रोत्साहन दिए जाएं। यदि सब्सिडी या अनुदान के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं

किसी राज्य की (एस. आई. सी. या) इकाइयों के किसी भी भाग को दिया जाता है ताकि वह दूसरों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने लंगड़ेपन या शैशवावस्था से बाहर आ सके, जो हमारी राय में, संविधान के भाग XIII की भावना और पत्र का उल्लंघन नहीं करता है और न ही कर सकता है।

हालाँकि, यह गुजरात राज्य बनाम है। जयशभाई कांजीभाई कलथिया [ए. के. सिकरी, जे.]

अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब कोई वैध कारण हो, अर्थात, यदि भेदभाव के लिए उचित और तर्कसंगत कारण हों। अगर ऐसा है तो

नहीं, यह शत्रुतापूर्ण भेदभाव के बराबर होगा। "

46. अनुच्छेद 303 के तहत किसी भी 'वरीयता' या 'भेदभाव' को सही ठहराने के लिए, वस्तुओं की कमी को दूर करना होगा। यह एक

अभिलेख की बात यह है कि अध्ययन समूह की रिपोर्ट जिस पर अपीलार्थी द्वारा निर्भरता रखी गई है, भारत के बाहर रेत के निर्यात को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता पर केंद्रित है न कि भारत के भीतर। किसी भी मामले में, अपीलार्थी को कुछ भी नहीं रोकता है। खुदाई की जा रही रेत की मात्रा को सीमित करने से। हालांकि, एक बार जब अपीलकर्ता राज्य रेत की खुदाई की अनुमति देता है, तो न तो वह भारत के क्षेत्र के भीतर अपनी आवाजाही को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है और न ही संवैधानिक रूप से इसकी अनुमति है। इसी तरह, राज्य में अन्य राज्यों से रेत के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि ऐसा होता है कि किसी भी राज्य की मांग पूरी नहीं हो रही है, तो वह अन्य राज्यों से रेत खरीद सकता है। किसी भी स्थिति में, बाजार रेत के व्यापार को निर्देशित करेगा क्योंकि खनन कंपनी के लिए परिवहन पर बड़ी लागत आने के बाद अपनी रेत को दूर के गंतव्य में ले जाने और बेचने का कोई व्यावसायिक अर्थ नहीं हो सकता है।

47. हम, इस प्रकार, अपीलार्थियों के खिलाफ दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

48. नतीजतन, हम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। बल्कि, हम आक्षेप की पुष्टि करते हैं

गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय और इन अपीलों को खारिज कर दें।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

कल्पना के. त्रिपाठी